06/02/25

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी हाजिर।
वकील प्रार्थी द्वारा भाईयों के शपथ पत्र
पेश किये गये। शा० मिसल रहे। बहस
वकील प्रार्थी सुनी गयी। मैंने सुनी गयी
बहस व विधिक प्रावधानों पर मनन
किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों
व TDR दांतारामगढ से प्राप्त रिपोर्ट का
अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि
प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136
एल आर एक्ट स्वीकार योग्य है। अतः
न्यायहित मे प्रार्थी का आवेदन 136 LR
Act स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक
से टंकण करा शा० मिसल रहे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक /रीडर/2025/67

दिनांक :- 7/2/25

आदेश

प्रार्थी की ओर से वकील श्री शंकर लाल खैरिया ने प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को सही करने हेतु ''आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती'' प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट में मज में आम में पटवारी हल्का की रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज आदि की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 136 एल.आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम उमाड़ा प0ह0 चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 74, 75, 114, 115 व ग्राम सुन्दारिया प0ह0 मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 71 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	**ग्राम उमाड़ा प0ह0 चक**	**74, 75, 114, 115**	**जगदीश पुत्र दीपाराम**	**जगदीश उर्फ शंकरलाल पुत्र दीपाराम**
2	**ग्राम सुन्दारिया प0ह0 मोटलावास**	**71**	**जगदीश पुत्र दीपा**	**जगदीश उर्फ शंकरलाल पुत्र दीपाराम**

(मोनिका सामोर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

क्रमांक /रीडर/2025/

दिनांक :-

प्रतिलिपिः-

1. तहसीलदार, दांतारामगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री...को सुचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ